न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. स्व.हडमतसिंह पिता श्री भीमसिंह राजपूत, निवासी डुलावतों का गुड़ा के बजाय :–

1/1. नरपतसिंह पिता स्वर्गीय हडमतसिंह राजपूत, निवासी डुलावतों का गुड़ा

1/2. लाजवन्तसिंहसिंह पिता स्वर्गीय हडमतसिंह राजपूत, निवासी डुलावतों का गुड़ा

1/3. भुवनसिंह पिता स्वर्गीय हडमतसिंह राजपूत, निवासी डुलावतों का गुड़ा

1/4. रणवीरसिंह पिता स्वर्गीय हडमतसिंह राजपूत, निवासी डुलावतों का गुड़ा

1/5. सुश्री प्रियंका कुंवर पिता स्वर्गीय हडमतसिंह राजपूत, निवासी डुलावतों का गुड़ा

2. श्रीमती भंवर कुंवर पत्नी स्वर्गीय हडमतसिंह राजपूत, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3. कुन्दनसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत, नि0 फुटिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

4. हरिसिंह पिता तखतसिंह झालाराजपूत, निवासी फुटिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. स्व. गोपीलाल पिता जालू पालीवाल,निवासी डुलावतों का गुड़ा के बजाय :–

1/1. श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. कन्हैयालाल पालीवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा

1/2. किशोर पिता स्वर्गीय कन्हैयालाल पालीवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा

1/3. हिमांश पिता स्वर्गीय कन्हैयालाल पालीवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा

1/4. नरेन्द्र पिता स्व. कन्हैयालाल पालीवाल जरिये संरक्षक माता श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. कन्हैयालाल पालीवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव

1/5. श्रीमती हेमलता पुत्री स्व. गोपीलाल पालीवाल पत्नी गणपतलाल पालीवाल, निवासी सेक्टर 3 हिरण मगरी, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. यमुना शंकर पिता स्व. गोपीलाल पालीवाल, नि. डुलावतों का गुड़ा, तह. बड़गांव

1/7. बंशीलाल पिता स्व. गोपीलाल पालीवाल,नि.डुलावतों का गुड़ा,तहसील बड़गांव

1/8. श्रीमती वाली बाई पत्नी स्व. गोपीलाल पालीवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णयएवं डिक्री उपखण्ड अधिकारीबड़गांव दिनांक 27–01–2020प्रकरण संख्या 307/2019

———

उपस्थित (वक्त बहस):–1.श्री कुन्दनसिंह [illegible]/[illegible]ील शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री खूबीलाल सिंघ[illegible] अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1/1 से 1/8

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयदिनांक18–07–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किवादी के स्वत्व आधिपत्य की कृषि आराजी नंबर 630, 1127, 1144, 1159, 1160, 1180, 1181, 1182, 1183, 1227, 1229, 3114, 3115, 3116, 3117 कुल किता 15 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि मौजा डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव में स्थित है। इस आराजी में से आराजी नंबर 1227 रकबा 2 बिस्वा, 1229 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13–12–2000 को तत्कालीन खातेदार से क्रय की गयी, शेष आराजियात वादी की मौरूसी भूमि है। वादी ने लाखों रूपये खर्च कर अपनी भूमि को काश्त योग्य बनाया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादी की खातेदारी भूमि में येन केन प्रकारेण हस्तक्षेप करने पर आमादा हैं। इस क्रम में दिनांक 10–01–2001 को ईकरारनामा विक्रय पत्र व दिनांक 17–01–2001 को बिकाव पत्र विच्छेदकरण पत्र फर्जी तौर पर तैयार कर अपने धन बल एवं प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए पुलिस थाना गोगुन्दा में बलपूर्वक वादी को ले जाकर हस्ताक्षर करवा लिये। उक्त दस्तावेजों में क्या लिखा है, पढ़ने का मौका वादी को नहीं दिया गया है। इस प्रकार फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन हड़पने पर उतारू हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजियात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, बाड़ कोट व फसल को नुकसान नहीं पहुंचावें।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि आराजी नंबर 1227 व 1229 वादी की खातेदारी की नहीं होकर स्वर्गीय हड़मतसिंह जी के परिवार के कब्जे में थी एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगणों के कब्जे में है। यह भूमि प्रतिवादीगणों की मौरूसी जायदाद है। वादग्रस्त भूमि का बिकावनामा वादी द्वारा हड़मतसिंह को शराब पिलाकर गैर कानूनी तरीके से करवाया गया है, जिस पर दिनांक 17–01–2001 को पुनः हड़मतसिंह द्वारा बिकावनामें का विच्छेदकरण कर दिया। नुमाईशी विक्रय पत्र में जितनी राशि हड़मतसिंह जी ने प्राप्त की थी वह वादी को लौटा दी गयी है। अतः प्रतिवादीगण का दावा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी नंबर 1227 व 1229 का खातेदार घोषित किया जावे।

वादी द्वारा प्रतिवादी के प्रतिदावे का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नंबर 1227 व 1229 वादी कीक्रय शुदा आराजियात है, जिस पर कब्जा वादी का चला आ रहा है। भूमि हड़मतसिंह की स्वअर्जित होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

से उसे विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था। विच्छेदीकरण का दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा पुलिस की मिलीभगत से षड़यंत्र पूर्वक करवाया गया है। अतः प्रतिवादीगण का प्रतिदावा खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीड़िंग्स के आधार पर 6 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 27—01—2020 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण / प्रतिवादीगणद्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30—06—2020 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अभिभाषक श्री खुबीलाल सिंघवी उपस्थित हुए।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट व अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा बताया किअपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री हेतु निश्चित अवधि में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के कार्यालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन कहीं गलत जगह रख देने से नकल दिनांक 25—06—2020 को प्राप्त हुई। इस बीच कोविड—19 की वजह से लॉकडाउन भी रहा, जिससे भी अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। नकल प्राप्त होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि वादी / रेस्पोन्डेन्ट ने विवादित आराजी नंबर 1227 व 1229 के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 253 / 2001 अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो दिनांक 27—09—2007 को खारिज हो चुका है। इसलिए वादी नया वाद लाने का अधिकारी नहीं था एवं वादी के विरूद्ध विबंधन का सिद्धान्त लागू होता है, किन्तु वादी ने [illegible] आराजियात के साथ अन्य आराजियात मिलाते हुए पुनः स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर दिया, जबकि आराजी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

1227 व 1229 से वादी का कोई संबंध नहीं है। वादी स्वयं ने दिनांक 10–01–2001 व 17–01–2001 को लिखतम कर दिनांक 13–12–2000 के विक्रय पत्र को निरस्त कर दिया एवं कुलिया राशि प्राप्त कर ली। इसलिए वादी/रेस्पोन्डेन्ट का उक्त आराजी नंबरों से कोई संबंध नहीं है। अपीलान्ट/प्रतिवादी ने आराजी नंबर 1227 व 1229 बाबत् अपने जवाबदावे के साथ व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिदावा पेश किया है तथा उसे साबित भी कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा तनकी संख्या 1 व 5 वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा साबित नहीं कराये जाने के बावजूद उनके पक्ष में निर्णित करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी नंबर 1227 व 1229 रेस्पोन्डेन्ट/वादी के पिता गोपीलाल ने अपीलान्ट/प्रतिवादी के पिता स्वर्गीय हड़मतसिंह से दिनांक 13–12–2000 को रजिस्टर्ड विक्रय से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त भूमि स्वर्गीय हड़मतसिंह की स्वअर्जित थी, जिसे विक्रय करने का उन्हें पूर्ण अधिकार था एवं रूपयों की आवश्यकता होने से उनके द्वारा विक्रय किया गया है, किन्तु भूमि की कीमतें बढ़ जाने से उनके मन में बदनियति आ गयी है तथा अवैध रूप से कब्जा हड़पने पर आमादा हैं एवं इस आशय से रेस्पोन्डेन्टगण की गन्ने की फसल जला दी, जिससे रेस्पोन्डेन्टगण को भारी क्षति हुई। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनेविद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली में 6 तनकियात कायम की गई। तनकी नंबर 1 का विनिश्चय करने के दौरान यह पाया गया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट वादग्रस्त आराजियात का रेकार्डेड खातेदार है। प्रदर्श 1 जमाबन्दी नकल संवत् 2061 से 2064 दस्तावेज के आधार पर तनकी वादी के पक्ष में तय की गई। तनकी नंबर 2 में यह तय किया गया कि वादग्रस्त भूमि हड़मतसिंह पिता भीमसिंह राजपूत के खाते में दर्ज होकर उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13–12–2000 को वादी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में विक्रय की गई। जबकि प्रतिवादी [illegible] बिकाव पत्र विच्छेदीकरण पत्र व ईकरारनामा विक्रय पत्र अनरजिस्टर्ड है [illegible] ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

पाये जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजियात मौरूसी सम्पत्ति थी। वादग्रस्त आराजी मौरूसी होकर अकेले हड़मतसिंह को विक्रय करने का अधिकार नहीं होने सम्बन्धित तथ्य तनकी की विवेचना में साबित नहीं हो पाया। यदि दिनांक 13–12–2000 को वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में वादी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में सम्पादित विक्रय पत्र अवैध है तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए।

इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत निर्णय पारित किया गया है। अपील मेमों के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा कोई ऐसे नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे सिद्ध हो कि वादग्रस्त आराजियात अपीलान्ट की मौरूसी सम्पत्ति होकर दिनांक 13–12–2000 को सम्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अवैध हो। अतः अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.** .....

स्व. हड़मतसिंह के बजाय नरपतसिंह पिता स्व0 हड़मतसिंह राजपूत, नि0 डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

स्व. गोपीलाल के बजाय श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. कन्हैयालाल पालीवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**36 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बड़गांव**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**27**.....माह.....**01**.....**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**.....माह.....**07**.....सन् **2023** रूबरू.....
व हाजरी.....**श्री कुन्दनमल सोनी/सुनील शर्मा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री खुबीलाल सिंघवी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ....**X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**07**.....**2023** को जारी किया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested